न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 10/2020

1 सत्यवीर पुत्र श्री चन्दगीराम जाति जाट निवासी बोलिया की ढाणी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2

बनाम

1 रामकुमार पुत्र स्व. जगराम
2 महावीर पुत्र स्व. बल्लुराम
3 सुरजीत पुत्र स्व. बल्लुराम
4 इन्द्रावली पुत्री स्व. बल्लुराम
5 सिलोचना पुत्री स्व. बल्लुराम
6 रोशन पुत्री स्व. बल्लुराम
7 संतो I पुत्री स्व. बल्लुराम
8 चांदकोर पुत्री स्व. बल्लुराम
9 बीरबलराम पुत्र नत्थूराम

समस्त जातिगण जाट निवासीगण सांचला, तहसील ढोलान जिला फतेहाबाद हरियाणा हाल आबाद बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अप्रार्थीगण/अपीलान्टस

10 चन्दगीराम पुत्र लिछमणराम
11 दयानन्द पुत्र चन्दगीराम
12 मु. शिमला पुत्री चन्दगीराम
13 बुटीराम पुत्र मनीराम

जाति जाट निवासी कान सुजिया की ढाणी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

14 कैलाश पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी कान सुजिया की ढाणी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर • सत्यमेव जयते



15 प्यारेलाल पुत्री मनीराम जाति जाट निवासी कान सुजिया की ढाणी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

16 मु. बशेसरी पुत्री मनीराम पत्नी भगत सिंह जाति जाट निवासी अरड़ावता तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

17 मु. बेजी देवी पुत्री मनीराम पत्नी बीरबल जाति जाट निवासी घरड़ाना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

18 मु. शारदा पुत्री मनीराम पत्नी श्रीराम लाम्बा जाति जाट निवासी निवासी चैलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।

19 मु. सुशीला पुत्री मनीराम पत्नी बनवारीलाल जाति जाट निवासी चैलासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

20 मु. कमला पुत्री मनीराम पत्नी रामनिवास जाति जाट निवासी अरड़ावता तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

21 कैलाश तथाकथित दत्तक पुत्र बीरबल जाति जाट निवासी कान सुजिया की ढाणी बजावा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्टस

22 रणवीर पुत्र चन्दगीराम

23 दयानन्द पुत्र चन्दगीराम

24 विजय सिंह पुत्र चन्दगीराम

समस्त जाति जाट निवासी सीथल तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

25 रामा देवी पत्नी प्यारेलाल जाति जाट निवासी मिलों की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनूं राज.।

26 मोहनी देवी पत्नी दलीप जी जाति जाट निवासी मिलों की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

27 तारामणी देवी पत्नी राजवीर जाति जाट निवासी खांखला की ढाणी तन नंगली, तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्ट सं.1/1,1/3 लगायत 1/7(प्रफोमा पक्षकार)

28 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्ट / अप्रार्थी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर •

प्रार्थना पत्र पुनरावलोकन अन्तर्गत धारा 229(2)
आरटीएक्ट 1955 व अन्तर्गत आदेश 47 नियम 1
जा.दी. व धारा 151 जा.दी. बाबत
अपील अ.धारा 223 आरटीएक्ट 1955 मु.नं. 150/2018
निर्णय दिनांक 27.01.2020 उनवानी रामकुमार वगै.
बनाम ज्यानादेवी वगै.

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र बुडानिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महिपाल कपुरिया,, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांक:– 30/7/25

यह पुनरावलोकन आवेदन इस न्यायालय द्वारा मुकदमा नम्बर 150/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुआ है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय में अपीलांट ने तथ्यों को छुपाकर उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या 380/2002 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2003 के विरूद्ध करीब 15 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.01.2020 से सहमति जाहिर कर प्रकरण रिमांड करवाया है। इसके विरूद्ध यह रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के मु.नं. 380/02 प्राथमिक निर्णय 24.01.2003 उनवानी पदमा बनाम मनीराम वगै. की प्रथम अपील इस न्यायालय में अपील संख्या 05/2003 व अपील संख्या 44/2003 प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.04.2024 को

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 05/2003 व अपील संख्या 44/2003 का निर्णय पारित कर उपरोक्त उनवानी प्रकरण के मु.नं. 380/2002 की प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.01.2003 व अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02. 2003 की पुष्टि की जाकर दोनों निर्णय एवं डिक्री यथावत रखे जाने का आदेश देकर अपील संख्या 5/2003 व अपील संख्या 44/2003 खारिज की गई। उनवानी प्रकरण संख्या 380/02 व अपील संख्या 05/2003व अपील संख्या 44/2003 की द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील/डिक्री/टी.ए./76/2004 झुन्झुनूं व अपील/डिक्री/टी.ए./77/2004 झुन्झुनूं प्रस्तुत हुई। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा संयुक्त रूप से दोनों द्वितीय अपीलों का निर्णय दिनांक 10. 11.2009 को किया गया। राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा उपरोक्त द्वितीय अपीलों में विचाराधीन प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनाक 24.01.2003 मु. नं. 380/2003 उनवानी पदमा बनाम मनीराम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के निर्णय दिनांक 24.01.2003 व इस न्यायालय की प्रथम अपील संख्या 44/2003 व 05/2003 के प्राथमिक निर्णय व डिक्री के निर्णय की पुष्टि की जाकर मु.नं. 380/2002 की प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री व द्वितीय अपील संख्या 05/2003 व 44/2003 के निर्णय यथावत रखे जाने का निर्णय पारित हुआ है। उनवानी अपील में विचारण मु.नं. 380/02 के बाबत राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर कैम्प कोर्ट झुन्झुनूं की अपील संख्या 05/2003 व अपील संख्या 44/2003 का निर्णय दिनांक 16.04.2004 व राजस्व मण्डल अजमेर की द्वितीय अपील संख्या 76/2004 व 77/2004 निर्णय दिनांक 04.11.2009 आज दिनांक तक यथावत है। उनवानी अपील के विचाराधीन मु.नं. 380/02 के प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री बाबत रिट पीटिशन सं. माननीय उच्च न्यायालय बैंच जयपुर में एस. बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 15246/2009 लंबित है। उक्त रिट पीटिशन में रिट पीटिशन के निर्णय तक रिट पीटिशन में पारित स्थगन आदेश दिनांक 18.12.2009 को दिनांक 07.01.2013 को पुनः सुनवाई कर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पुष्टि की जाकर रिट पीटिशन के निर्णय तक यथास्थिति का स्थगन आदेश पारित हुआ जो आज दिनांक तक यथावत अस्तित्व में है। उनवानी अपील में अपीलान्ट पक्षकारान व अपीलान्ट के अधिवक्ता को पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित निर्णित व् लंबित प्रकरणों की पूर्ण जानकारी होने के बावजूद अपीलान्ट व अपीलान्ट के अधिवक्ता ने तथ्यों को छुपाकर व झूठे तथ्यों पर मियाद बाहर अपील पेश कर इस न्यायालय में निर्णय दिनांक 27.01.2020 पारित करवाया गया है। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की अपील स्वीकार कर रिमाण्ड करने की सहमति गलत रूप से दर्ज की गई है। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की कोई सहमति अपील स्वीकार कर रिमाण्ड करने बाबत नहीं दी गई थी। अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 10 लगायत 21 के साथ आपराधिक षड़यंत्र व साज कर उक्त अपील न्यायालय में धोखाधड़ी पूर्वक तथ्यों को छुपाकर व झुठे तथ्य पेश कर इस न्यायालय से अपील में गलत निर्णय पारित करवाया गया है। प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की जाकर इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2020 को पुनरावलोकन कर निर्णय अपास्त किया जावें तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 9 के विरूद्ध न्यायालय में झुठे तथ्य व झुठे साक्ष्य पेश कर आपराधिक षडयंत्र के तहत धोखाधड़ी कर निर्णय पारित करवाने बाबत अलग से फौजदारी प्रकरण दर्ज करवाकर दण्डित करवाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय में अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या 380/2002 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.01.2020 से सहमति जाहिर कर प्रकरण रिमांड करवाया है। इसके विरूद्ध यह रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में स्पष्ट विवेचन किया है कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता जगराम व बल्लुराम ने दिनांक 02.06.1992 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर ली थी। वादीगण ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना, पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दिये बिना निर्णय पारित करवाया है। स्पष्ट है कि इस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भू-प्रबन्ध • सीकर •

न्यायालय द्वारा प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है। पुनरावलोकन के प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः परिक्षण नहीं किया जाता है। पुनरावलोकन आवेदन पेश करने के संदर्भ में रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल की धारा 20 में स्पष्ट एवं आज्ञापक प्रावधान है कि पुनरावलोकन आवेदन के साथ शपथ पत्र. प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदनकर्ता ने पुनरावलोकन आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। पुनरावलोकन आवेदन मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदन खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2022 (2) पेज 1429 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में इस न्यायालय में अपीलांट ने उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा प्रकरण संख्या 380/2002 में पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2003 के विरूद्ध इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.01.2020 से सहमति जाहिर कर प्रकरण रिमांड करवाया है। इसके विरूद्ध यह रिव्यू आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय में स्पष्ट विवेचन किया है कि विवादित भूमि अपीलान्ट के पिता जगराम व बल्लुराम ने दिनांक 02.06.1992 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर ली थी। वादीगण ने अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना, पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती दिये बिना निर्णय पारित करवाया है। स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है। पुनरावलोकन के प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः परिक्षण नहीं किया जाता है।

पुनरावलोकन आवेदन पेश करने के संदर्भ में रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल की धारा 20 में स्पष्ट एवं आज्ञापक प्रावधान है कि पुनरावलोकन आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदनकर्ता ने पुनरावलोकन आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संदर्भ में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2022 (2) पेज 1429 में अभिनिर्धारित किया गया है कि

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Section 151, 152 and 114-Code of Civil Procedure, 1908-Order 47, Rule 1-Review application filed to correct the khasra No. 1851 which has been mentioned wrongly and khasra No. 2292 not incorporated in the plaint-Application rejected-Original suit was for declaration and amendment sought for partition-Revision filed after 12 years-No satisfactory explainantion-A litigant should be vigilant himself and required to maintain contact with the lawyer-No affidavit filed alongwith the review petition under Rule 20 of the Revenue Court Manual-Mendatory provision-Held, No illegality in the order and upheld. उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में पुनरावलोकन आवेदन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

( अनिल कुमार II )
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
(कैम्प झुन्झुनूं)